

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13036/2009

रघुवीर नारायण पुत्र श्री बैजनाथ, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी 12-ए,
टेलीफोन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक, राजकीय प्रेस जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
- महामहिम राज्यपाल राजस्थान के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री मधु सूदन शर्मा

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री मोहम्मद अकबर खान

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित दिनांक ::: 14/05/2024

घोषित दिनांक ::: 15/07/2024

1. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

“(i) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें आक्षेपित आदेश दिनांक 18.04.2002 और 11.06.2003 को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक घोषित किया जाए और उन्हें कृपया रद्द और अपास्त किया जाए;

(ii) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिससे प्रतिवादियों को कम से कम याचिकाकर्ता को वह अनंतिम पेंशन बहाल करने का निर्देश दिया जाए जो वह आक्षेपित आदेशों के पारित होने से पहले प्राप्त कर रहा था;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में लागत और मुआवजे के साथ जारी किया जाए।”

2. यह याचिका प्रतिवादियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2002 और 11.06.2003 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के आधार पर उसे स्वीकृत अनंतिम पेंशन को बंद कर दिया गया है।

3. मामले का सार यह है कि याचिकाकर्ता एक सरकारी प्रेस का भूतपूर्व कर्मचारी था और अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के बाद, दिनांक 29.08.1997 के पत्र द्वारा अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता का एक उत्कृष्ट और निर्विवाद सेवा रिकॉर्ड है। हालाँकि, 26.03.1994 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की पुत्रवधू, (स्व.) श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री सुशील कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिणामस्वरूप, श्री सुशील कुमार (याचिकाकर्ता के पुत्र) ने उसी दिन पुलिस थाना, बजाज नगर, जयपुर में एक लिखित शिकायत/सूचना प्रस्तुत की। इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 174 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। हालाँकि, 27.03.1994 को मृतका के भाई श्री बृजमोहन ने याचिकाकर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई।

4. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक) संख्या 2, जयपुर के समक्ष विचारण के दौरान, दिनांक 27.02.2002 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और उसे तीन साल के कठोर कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई (भुगतान न करने पर, अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास)। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 307/2002, शीर्षक सुशील गुप्ता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, के रूप में एक अपील दायर की। परिणामस्वरूप, दिनांक 07.03.2002 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता के दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया गया था।

5. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के समय, दिनांक 29.08.1997 के आदेश द्वारा, प्रतिवादियों ने उसे अतिरिक्त भत्तों के साथ 1270/- रुपये प्रति माह की अनंतिम पेंशन प्रदान की थी (अनुलग्नक-2)।

6. विवाद तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, प्रतिवादी संख्या 3 - निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार ने, दिनांक 16.04.2002 के आदेश द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (इसके बाद पेंशन नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 6(1) के तहत याचिकाकर्ता की पेंशन और पेंशनभोगी/सेवानिवृत्ति लाभों को बंद कर दिया और तदनुसार मामले को महामहिम, राजस्थान के राज्यपाल की स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया। पेंशन

नियमों के नियम 7 के तहत निहित शक्तियों के तहत उक्त सिफारिश की पुष्टि राज्यपाल द्वारा दिनांक 11.06.2003 के आदेश द्वारा की गई थी। (अनुलग्नक- 3 और 4)।

7. जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, तब संबंधित मामले की अपील लंबित थी। इसलिए, याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी भी अन्य कार्यवाही को रोकने/विराम देने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, वर्ष 2003 में, प्रतिवादियों को न्याय की मांग का नोटिस दिया गया। हालाँकि, प्रतिवादियों ने उक्त नोटिस को अनसुना कर दिया, और याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश दिनांक 18.04.2002, पेंशन नियमों के नियम 6(1) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी भविष्य का आचरण प्रत्येक अनुदान और पेंशन की निरंतरता के लिए एक निहित शर्त होगी। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उपरोक्त प्रावधान के तहत कोई भी कार्रवाई तभी की जाएगी, जब उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो, यानी संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए, और उसके द्वारा दायर किसी भी अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई/निष्क्रियता स्वतः ही अवैध है और पेंशन नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत है। राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी/अनुमोदन के संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि नियम 7(1) केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पेंशनभोगी को सेवा की अवधि के दौरान, किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है।

8. इस संबंध में, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि घटनाओं का कालक्रम स्वयं स्पष्ट करता है कि उक्त अपराध उस समय नहीं हुआ जब याचिकाकर्ता अपनी सेवा का निर्वहन कर रहा था, साथ ही, आपराधिक कार्यवाही पहले से ही दिनांक 07.03.2002 के आदेश द्वारा निलंबित कर दी गई थी। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत अपराध केवल संदेह/धारणा पर स्थापित किया गया था, इसलिए यह टिकने योग्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के साथ पठित धारा 304बी के तहत आरोप रद्द कर दिए गए थे। इसलिए, नियम 6 और 7 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी गंभीर अपराध कभी स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, उक्त अपराध और सेवानिवृत्ति देय राशियों के बीच कोई संबंध नहीं था।

9. इस मोड़ पर, विद्वान वकील ने **सिविल अपील संख्या 6770/2013**, शीर्षक **झारखंड राज्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय, **डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12437/2012**, शीर्षक **एच.आर. चौधरी बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर और अन्य, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14891/2023**, शीर्षक **महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300ए के तहत निहित प्रावधानों पर भरोसा किया है।**

10. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने कहा कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। इसलिए, संशोधित वाद शीर्षक दायर किया गया है।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्ता ने गंभीर

अपराध किया था और पेंशन नियमों के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को नैतिक अधमता वाले अपराध का दोषी ठहराया जाता है, चाहे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हो या नहीं, उस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, नियम 6(1) और 7(1) के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्ति देय राशियों को रोकने की कार्रवाई कानून में वैध है और किसी भी मनमानी से रहित है।

12. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया, रिकॉर्ड को स्कैन किया और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

13. इस मोड़ पर, यह न्यायालय कुछ निर्विवाद तथ्यों को लिखना उचित समझता है:

13.1 कि याचिकाकर्ता एक बेदाग सेवा रिकॉर्ड के साथ एक लंबी अवधि से प्रतिवादी संख्या 3 - निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर, के साथ सेवा का निर्वहन कर रहा था और अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29.08.1997 के आदेश द्वारा अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था।

13.2 कि 26.03.1994 को याचिकाकर्ता की पुत्रवधू, (स्व.) श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री सुशील कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद, श्री सुशील कुमार (याचिकाकर्ता के पुत्र) द्वारा संबंधित पुलिस थाने में एक सूचना/शिकायत दर्ज की गई। हालाँकि, 27.03.1994 को मृतका के भाई श्री बृजमोहन ने याचिकाकर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई।

13.3 कि उक्त अपराध याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से दूर-दूर तक संबंधित नहीं है।

13.4 कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के समय, दिनांक 29.08.1997 के आदेश द्वारा, प्रतिवादियों ने उसे अतिरिक्त भत्तों के साथ 1270/- रुपये प्रति माह की अनंतिम पेंशन प्रदान की थी (अनुलग्नक-2)।

13.5 कि दोषसिद्धि आदेश दिनांक 27.02.2002 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2002 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

14. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और रिकॉर्ड के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

14.1 कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना या उसके अभ्यावेदन को संबोधित किए बिना, पेंशन नियमों के नियम 6(1) के प्रावधानों के तहत आक्षेपित आदेश दिनांक 16.04.2002 और महामहिम, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2003 पारित किया। हालाँकि, यह देखते हुए कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने में विफल रहे हैं, नियम 6 (3) के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"6. पेंशन भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन

.....(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत न आने वाले मामले में, यदि उप-नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी यह मानता है कि पेंशनभोगी प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार का दोषी है, तो वह उप-नियम (1) के तहत आदेश पारित करने से पहले,

(क) पेंशनभोगी को एक नोटिस देगा जिसमें उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और जिस आधार पर यह प्रस्तावित है, का उल्लेख होगा और उसे नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमत पंद्रह दिनों से अधिक नहीं की अतिरिक्त अवधि

के भीतर, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगा
जैसा वह प्रस्ताव के खिलाफ करना चाहता हो; और
(ख) खंड (क) के तहत पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत
अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।"

14.2 कि इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या अधिवर्षिता के समय प्रदान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को एक कथित आपराधिक अपराध पर निलंबित किया जा सकता है, तब भी जब उक्त अपराध कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन से संबंधित नहीं है। इस न्यायालय की राय है कि यह कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकता, निम्नलिखित कारणों से:

14.2.1 यह न्यायालय पेंशन नियम, 1996 के नियम 6 के तहत निहित प्रावधानों पर भरोसा करते हुए इस राय का है कि उक्त अपराध 'गंभीर अपराध' या 'गंभीर कदाचार' के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, इसके कारण सेवानिवृत्ति लाभों का आंशिक/स्थायी निलंबन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"6. पेंशन भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन

(1)(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन या उसके एक हिस्से को, स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोक या वापस ले सकता है, यदि पेंशनभोगी को एक गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है या गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है:

बशर्ते कि जहां पेंशन का एक हिस्सा रोका या वापस लिया जाता है, वहां ऐसी पेंशन की राशि तीन सौ रुपये प्रति माह से कम नहीं की जाएगी।"

14.2.2 नियम 6 के प्रावधान स्वयं भी कथित अपराध के संबंध में 'दोषसिद्धि' को अनिवार्य करते हैं। जबकि, इस मामले में, यह स्पष्ट है कि उक्त दोषसिद्धि आदेश को एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 307/2002, शीर्षक सुशील गुप्ता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित दिनांक

07.03.2002 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"6. पेंशन भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन

(2) जहां एक पेंशनभोगी को कानून की अदालत द्वारा एक गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है, उप-नियम (1) के तहत कार्रवाई ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित अदालत के फैसले के आलोक में की जाएगी।"

14.3 कि यह न्यायालय, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14891/2023 शीर्षक महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य में समाहित अनुपात पर विचार करते हुए इस राय का है कि एक पारिवारिक विवाद या किसी अन्य विवाद से संबंधित कथित आरोप, जिनका आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के साथ कोई उचित संबंध नहीं है, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों के निलंबन के लिए एक वैध आधार नहीं है। उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद सिंह किरार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 8934-8935/2022) के मामले में, 02 दिसंबर, 2022 को निर्णय दिया, जिसमें धारा 498ए आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामले के कारण एक उम्मीदवार की नियुक्ति न करने के संबंध में एक मामले में उस उम्मीदवार को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति की अनुमति देने का निर्देश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह देखा है: -

"6. सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2013 में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था और इस तरह उसे मेधावी

पाया गया और कांस्टेबल के रूप में नियुक्त होने के योग्य पाया गया। सत्यापन फॉर्म में ही उसने घोषित किया था कि उस पर पहले धारा 498 ए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से सही और सटीक तथ्यों को प्रकट न करने में कोई छिपाव नहीं था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता को धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए दिनांक 30.10.2006 के निर्णय और आदेश द्वारा बरी कर दिया गया था, यानी कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने से 7 साल पहले। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि एक वैवाहिक विवाद था जो समझौते में समाप्त हो गया और मूल शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अदालत के बाहर समझौते के मद्देनजर उसे प्रतिकूल घोषित कर दिया गया और मामले में जांचे गए अन्य अभियोजन गवाह (ओं) ने अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं की। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने आईपीसी के अन्य अपराधों के लिए अभियोजन का सामना नहीं किया। इसलिए, वर्ष 2001 में जो कुछ भी हुआ और धारा 498 ए के तहत आपराधिक मामला वर्ष 2006 में बरी होने में परिणत हुआ,

उसके लिए अपीलकर्ता को वर्ष 2013/2014 में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिस अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, वह अंततः बरी होने में परिणत हुआ था, वह वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था जो अंततः अदालत के बाहर समझौते में समाप्त हो गया। परिस्थितियों में और मामले के विशेष तथ्यों में, अपीलकर्ता को केवल उपरोक्त आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था कि उस पर धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और वह भी, वर्ष 2001 में हुए कथित अपराध के लिए जिसके लिए उसे वर्ष 2006 में बरी भी कर दिया गया था, भले ही समझौते पर (पति और पत्नी के बीच)।

7. अब जहां तक इस न्यायालय के अनिल कंवरिया (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा रखे गए भरोसे का सवाल है, तथ्यों पर उक्त निर्णय लागू नहीं होगा। यह एक ऐसा मामला था जहां उम्मीदवार ने अपनी पृष्ठभूमि को छुपाया था और भौतिक तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी/गलत बयानी और भौतिक तथ्य को छुपाकर नियुक्ति प्राप्त की थी। उस मामले में कर्मचारी को धारा 343 और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी

ठहराया गया था। इसलिए, नियुक्ति के समय उसे दोषी पाया गया था। इसलिए, उसकी बर्खास्तगी को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। न तो अपीलकर्ता की ओर से किसी भौतिक तथ्य का कोई छिपाव था और न ही उसे आईपीसी के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। कथित घटना वर्ष 2001 की थी जो वर्ष 2006 में बरी होने में परिणत हुई और उसने वर्ष 2013/2014 में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था।"

22. पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ जमा करने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद जब कोई कर्मचारी वृद्धावस्था में हो, तो उसे अपनी आजीविका या आवश्यकताओं के लिए किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े, विशेष रूप से उन मामलों में जो अकेले हैं या उन लोगों द्वारा उपेक्षित हैं जिन्हें उन्हें बनाए रखना चाहिए। यदि हम मामले के तथ्यों में जाते हैं, तो याचिकाकर्ता ने लगभग 38 वर्षों तक प्रतिवादियों के साथ सेवा की है और अपने वेतन और राज्य नियोक्ता द्वारा सहायता प्राप्त अन्य योगदानों से योगदान करके, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उसे जमा किए गए हैं। आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने और वह भी किसी पारिवारिक विवाद के संबंध में जिसका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है, के

कारण किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय की राय में पेंशन नियम, 1996 के नियम 90 में उल्लिखित न्यायिक कार्यवाही, आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यालय से संबंधित एक कर्मचारी के कार्य की कार्यवाही के संबंध में है। पेंशन नियम, 1996 के नियम 90 में उल्लिखित 'न्यायिक कार्यवाही' शब्द को "पारिवारिक विवादों" से संबंधित कार्यवाही के लिए नहीं माना जा सकता है, जिसका आधिकारिक कर्तव्यों या उसके कार्यालय में कर्मचारी के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादियों ने स्वयं जांच के बाद एक कदाचार रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू न करने का फैसला किया है।"

15. इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, इस न्यायालय की राय है कि पेंशन नियमों के नियम 6 और 7 का इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है, बल्कि संबंधित प्रतिवादी-प्राधिकारियों द्वारा उनकी गलत व्याख्या की गई है।

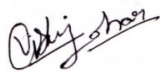
16. उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता के देय सेवानिवृत्ति/पेंशनभोगी लाभों को इस आदेश की घोषणा की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के प्रावधानों के अनुसार, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि देय राशि के जारी होने में किसी भी देरी पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर या अन्यथा लागू होने वाली, कानून के प्रावधानों के अनुसार, ब्याज लगेगा।

17. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(समीर जैन), जे

दीपक/एस-369

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़